विलो ...

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 पुनर्विलोकन – 5107/2018/मुरैना/भू.रा.

1. होलीराम पुत्र मुन्नालाल
2. रामबाबू पुत्र गोविन्द
3. रामनरेश पुत्र गोविन्द
4. हरिविलास पुत्र गिरधारी
5. उमेश पुत्र सुमेरा
6. दीपक पुत्र सुमेरा

समस्त निवासीगण ग्राम मंसूरपुरा तह पोरसा जिला मुरैना म.प्र. ——— ***आवेदकगण***

श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि० 21.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. शियाराम पुत्र विलसे
2. फूलाबाई वेवा कुन्दनलाल

निवसी ग्राम मसूरपुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना

3. मुकेश पुत्र रामजीलाल
4. मंजू पत्नी परिमाल
5. कपूरीबाई पत्नी रामजीलाल
6. दुर्गेश वेवा पहलवान
7. अरविन्द पुत्र रमेशचन्द्र

समस्त जाति वैश्य समस्त निवासीगण पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

8. दधिराम पुत्र शियाराम
9. टीकाराम पुत्र शियाराम
10. तुलसीराम पुत्र कुन्दनलाल
11. रामदत्त पुत्र कुन्दनलाल

समस्त निवासीगण ग्राम मसूरपुरा तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र. ——— ***अनावेदकगण***

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 मान. न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. 600/2017/निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नावलोकन-5107/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 600-एक/17 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण मेरे द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत अंडर टेकिंग के आधार पर दिनांक 17.10.2014 को स्थगन आदेश दिया गया है इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यदि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई आदेश पारित किया गया है तो उसके आधार पर उभयपक्ष विचारण न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	